FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत——जिला कलक्टर | मुकाम : दौसा

रामसहाय वगै0 बनाम कजोड वगै0

किस्म मुकदमा– प्रा0पत्र अंतर्गत धारा 3 जी(5) | नम्बर– 24 सन् 2008

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
03.09.2024	अधिवक्ता अपीलांट उपस्थित। राजकीय अधिवक्ता उपस्थित। अधिवक्ता रेस्पों0 सं0 2 उपस्थित। अधिवक्ता रेस्पों. सं0 2 ने कथन किया कि अधिवक्ता अपीलांट ने अपील अबेट होने से खारिज किये जाने हेतु प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र का अधिवक्ता अपीलांट्स द्वारा न तो जवाब प्रस्तुत किया गया और ना ही अपीलांट के कायम मुकामान की सूचना पेश की गई। अधिवक्ता रेस्पों. सं0 2 द्वारा प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि उनवानी अपील में अपीलांट रामपाल को देहान्त कई व वर्ष पूर्व हो चुका है जिसकी सूचना दिनांक 27.1.2021 को माननीय न्यायालय के समक्ष लिखित में दे दी थी, किन्तु अपीलांट्स द्वारा आज दिनांक तक अपीलांट रामपाल के कायम मुकामान की कार्यवाही नहीं की है। कानूनन किसी भी पक्षकार की मृत्यु हो जाने पर निर्धारित समय सीमा 90 दिवस में कायम मुकामान पेश किये जाते है। किन्तु अपीलांट्स द्वारा दिनांक 27.1.2021 को सूचना प्राप्त होने पर भी दो वर्ष से भी अधिक समय बीत जाने के उपरांत भी कायम मुकामान का प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया गया है। जिस कारण अपील स्वतः ही अबेट हो चुकी है। अधिवक्ता रेस्पों0 सं0 2 द्वारा अपील अबेट होने से खारिज फरमाये जाने हेतु निवेदन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 2 के कथन पर मनन किया गया जिससे स्पष्ट है कि रेस्पों0 पून्या द्वारा दिनांक 27.1.2021 को प्रार्थना पत्र बाबत अपीलांट रामपाल पुत्र भोंरीलाल की मृत्यु बाबत सूचना पेश की गई है। किन्तु अपीलांट्स द्वारा दो वर्ष से भी अधिक समयावधि बीत जाने के उपरांत भी अपीलांट रामपाल के कायम मुकामान की सूचना पेश नहीं की गई है ना ही आज दिनांक तक कोई जवाब पेश किया गया है। जबकि किसी मुकदमें में वादी की मृत्यु होने पर आदेश 22 नियम 03 सीपीसी के तहत आवेदन दाखिल करने करने की निर्धारित समय सीमा 90 दिवस है। ऐसी स्थिति में अपील अबेट होने के कारण हम अपील खारिज किया जाना उचित समझते है। उपरोक्त विवेचन के आधार [illegible] ग्राम खुरी कलां पर तहसीलदार दौसा द्वारा पारित आदेश [illegible] 09.01.2002 के विरूद्ध अपीलांट्स रामसहाय, वगै0 [illegible] मालपुरिया तहसील दौसा द्वारा इस न्यायालय [illegible] अबेट होने से खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर [illegible] कम हो। अधीनस्थ [illegible] का मूल अभिलेख लौटाया जावे। पत्रावली बाद पूर्ति प्रविष्ठ लेख भंडार हो। निर्णय आज दिनांक 03.09.2024 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया। Devendra जिला कलक्टर दौसा	मुनोगाम

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.09.23 14:15:45 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official